न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 08 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
01. सोहनलाल पुत्र शिवनाथ जाति खटीक निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0		01. विजयराज पुत्र गुलाबचंद जाति मोची निवासी मोचीवाड़ा सोजत सिटी तह0 सोजत, पाली। 02. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री गजेन्द्र दवे, श्री भगवती प्रसाद, श्री सुनील दवे अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक : 26/03/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत पटवार हल्का सोजत प्रथम तहसील सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 360 / 6299 रकबा 0.6200 हैक्टर आई हुई स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि रकबा 0.8200 हैक्टर मूल खातेदार कलाराम वगैरा से जरिये बेचान इकरार के खरीद की जिसका बेचान इकरारनामा प्रार्थी के पक्ष में तहरीर व तकमील कर अपने हस्ताक्षर रूबरू मौतबीरान किया जाकर बेचान इकरारनामा प्रार्थी को सुपुर्द किया गया। प्रार्थी के द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री निष्पादन करवाये जाने से पूर्व राजस्व अधिकारियों से माप व सीमाकंन करवाये जाने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी कि मौके पर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबे के अनुसार न होकर कम भूमि है, इसलियें मूल खातेदार कलाराम वगैरा द्वारा प्रार्थी को यह विश्वास दिलाया कि अभी मौके की स्थिति के अनुसार यानि 0.6200 हैक्टर कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री निष्पादित करवा देता हूं शेष बची कृषि भूमि बेचान रजिस्ट्री उस समय निष्पादित करवा दूंगा जब मौके पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार एक समान हो जायेगी। मौके पर स्थित सम्पूर्ण कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया गया था, वक्त बेचान रजिस्ट्री से लेकर सम्पूर्ण कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा प्रार्थी का आया हुआ स्थित है। प्रार्थी की उक्त हक हकूक खातेदारी कृषि भूमि के पड़ौस में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 360 / 6300 रकबा 0.2000 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य हर समय माठ व धोरा पाली को लेकर विवाद होता रहता है तथा अप्रार्थी जोर जबरदस्ती अपने हक हिस्से से ज्यादा प्रार्थी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर उतारू रहतें है तथा दोनों के मध्य माठों को लेकर व हिस्से को लेकर विवाद नहीं हो इस हेतु प्रार्थी अपनी स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि का माप एवं सीमाकंन कर पत्थरगढ़ी करवाकर तारबंदी करवाना चाहता है, जिससे प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सुरक्षित रहे तथा फसल को किसी प्रकार का नुकसान इत्यादि कारित नहीं हो इसलिए उक्त खसरा संख्या 360 / 6299 रकबा 0.6200 हैक्टर कृषि भूमि का पत्थरगढ़ी के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

जरिए पैमाईस करवाया जाकर मुटाम लगवाया जाना कानून्न आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा पैमाईश सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के रामक्ष दिनांक 30/12/2024 को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी पालना में पटवारी हल्का सोजत चक प्रथम द्वारा सीमाकंन करने हेतु मौके पर गये अप्रार्थीगण द्वारा सीमाकंन नहीं करने तथा मौके पर विवाद पैदा करने लगे। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमाकंन संभव नहीं होने तथा मौके पर विवाद होने का नोट अंकित कर तहसीलदार सोजत को मूल प्रार्थना पत्र सहित लौटा दिया। इसलिए प्रार्थी के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का सीमाकंन करवा कर मुटाम लगवाया जाकर पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 360/6299 रकबा 0.6200 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 जवाब प्रा0पत्र पेश करना नहीं चाहने से जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 01 सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 360/6299 रकबा 0.6200 है0 की आयी हुई स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि के पड़ोसी खातेदारान के मध्य उक्त कृषि भूमि के बीच स्थित माठ व सीमाओं तथा धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे प्रार्थी द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगाये जाने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 01 पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के खसरा संख्या 360/6299 रकबा 0.6200 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

-: आदेश:-

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 360/6299 रकबा 0.6200 हैक्टर का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत